2024/575

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थीगण :– मन्जू देवी पत्नी स्व. खेमाराम जाति जाट निवासी बावडी हाल निवासी रसीदपुरा तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन वगै.।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– धन्नाराम पुत्र बिडदाराम जाति जाट निवासी बावडी तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन वगै.।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या 182/2024 सन्–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
05.11.2024	प्रार्थीगण मन्जू देवी पत्नी स्व. खेमाराम जाति जाट निवासी बावडी हाल निवासी रसीदपुरा तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन वगै. ने यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण धन्नाराम पुत्र बिडदाराम जाति जाट निवासी बावडी तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन वगै. के विरूद्ध पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील प्रार्थीगण श्री सैयद अल्ताफ हुसैन के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे सरहद रसीदपुरा, पटवार हल्का–रसीदपुरा के खसरा संख्या 699, 700, 701, 702, 698, 664, 845/665 कुल खसरे 7 एवं सरहद बावडी पटवार हल्का रसीदपुरा के खसरा संख्या 631, 634, 635, 629, 633 कुल खसरे 5 की भूमि पर निर्माण, विक्रय/ हस्तानान्तरण नहीं करेंगे तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट :–** 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनॉक 11.12.2024 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

11/12/24

पत्रावली पेश हुई।
सार ... कार्य स्थगित रहा है।
पत्रावली दिनांक 13/1/25 को पेश हो।

U.T. आवेदक सं. 2
हीराराम
11.12.24

9/1/25

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थीगण तथा उनके अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण वे प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं इसलिए प्रार्थना पत्र जरिए विदड्राल खारिज किया जावे।

आवेदन पर सुना गया व रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं इसलिए हस्ब ख्वाहिश प्रार्थीगण हस्तगत प्रार्थना पत्र जरिए विदड्राल खारिज किया जाता है।

पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर मुताबिक कायदे के साथ दाखिल दफ्तर हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]वाना

अशोक चौधरी
Identified by
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner